(20)

परिषद के मुख्यालय, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 27मई, 1976 को 3-30 बजे अपरान्ह में हुई उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वर्ष 1976 की

तृतीय बैठक का कार्य-वृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थे :

1-	श्री वी0एस0 कटारा	अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त	अध्यक्ष
2-	श्री राज बहादुर द्विवेदी		सदस्य
3-	श्री अरविन्द वर्मा	विशेष सचिव (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
4-	श्री बृज मोहन जोशी	उप सचिव (सचिव स्वायत्त शासन के प्रतिनिधि)	सदस्य
5-	श्री जे0पी0 दुबे		सदस्य
6-	श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव		सदस्य

2- बैठक की कार्यवाही पर विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1-	परिषद की दिनांक 27मार्च, 1976 को हुई वर्ष 1976 की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	III/(1)/76	परिषद द्वारा सर्वसम्मति से कार्य-वृत्त की पुष्टि की गयी।
2-	परिषद की वर्ष 1976 की द्वितीय बैठक दिनांक 27मार्च, 1976 के कार्य-वृत्त की अनुपालन रिपोर्ट।	III/(2)/76	परिषद ने वर्ष 1976 की द्वितीय बैठक के कार्य-वृत्त की अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया।
3-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सामान्य सेवा शर्तों में संशोधन।	III/(3)/76	परिषद ने उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित 'उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (सेवा की शर्तें) विनियम, 1966 में प्रस्तावित संशोधन पर विचार विमर्श करके उनका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।
4-	गोण्डा गिर्द भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना को धारा 28 के अन्तर्गत स्वीकृत करना।	III/(4)/76	परिषद ने गोंडा गिर्द भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना पर विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकृत किया और नयी योजना को परिषद के अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा आगे चलाने की अनुमति प्रदान की।
5-	परिषद की योजनाओं हेतु हडको द्वारा स्वीकृत ऋण पर उप समिति का निर्णय	III/(5)/76	परिषद ने 'हडको' द्वारा परिषद की योजनाओं हेतु स्वीकृत ऋण पर टिप्पणी के साथ प्रस्तुत उप समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का अवलोकन किया।

(द्वारका नाथ टण्डन,)
उप आवास आयुक्त एवं सचिव

(21)

क्र०सं०	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
6-	हरियापुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बरेली।	III/(6)/76	परिषद ने हरियापुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बरेली, के संबंध में ~~चलाना~~ विचार विमर्श किया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस योजना को परिषद हित में ~~चलाना~~ ठीक न होगा। अतः इसका परित्याग कर दिया जाय।
7-	उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ की जीवन बीमा निगम से प्राप्त धनराशि का आवास परिषद द्वारा उपयोग करने हेतु सहकारी आवास समितियों का गठन।	III/(7)/76	परिषद ने उ०प्र० सहकारी आवास संघ को जीवन बीमा निगम से प्राप्त धनराशि को आवास परिषद द्वारा उपयोग करने हेतु सहकारी आवास समितियों के गठन के संबंध में विचार-विमर्श किया और योजना का अनुमोदन करते हुये प्रस्तुत टिप्पणी में किये गये प्रस्तावों को सर्वसम्मति से अनुमोदन इस संशोधन के साथ किया कि "सहायक निबन्धक" के पद ~~का~~ का नाम "सहायक आयुक्त" भी रखा जाय।
8-	परिषद की "राजपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2, देहरादून (क्षेत्रफल-0-79 एकड़) के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के सम्बन्ध में नियोजन समिति (केन्द्रीय-क्षेत्र, बुन्देल खण्ड क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र) की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।	III/(8)/76	परिषद ने राजपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2, देहरादून के संबंध में नियोजन समिति द्वारा लिये गये निर्णयों पर विचार करते हुये सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि योजना परिषद के हित में न होगी और इसका परित्याग किया जाय। साथ ही साथ सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत जो अतिरिक्त भूमि मिल सके उसे इस ऐक्ट के अन्तर्गत लिया जाय।
9-	देहरादून में राजपुर रोड गृहस्थान योजना, देहरादून(क्षेत्रफल-100-00 एकड़) के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के सम्बन्ध में नियोजन समिति (केन्द्रीय क्षेत्र, बुन्देल खण्ड क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र) की बैठक के कार्यवृत्त पर निर्णय।	III/(9)/76	देहरादून में राजपुर रोड गृहस्थान योजना, देहरादून(क्षेत्रफल 100-00एकड़) के संबंध में नियोजन समिति के निर्णयों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया और साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत जो अतिरिक्त भूमि मिल सके उसे इस ऐक्ट के अन्तर्गत लिया जाय।
	~~परिषद ने मुख्यालय स्थित वित्त विभाग के पुनर्गठन के संबंध में प्रस्तुत की गयी टिप्पणी को विचार~~		
10-	वित्त विभाग का पुनर्गठन।	III/(10)/76	परिषद ने मुख्यालय स्थित वित्त विभाग के पुनर्गठन के संबंध में प्रस्तुत की गयी टिप्पणी के विचार विमर्श के पश्चात टिप्पणी में प्रस्तुत प्रस्तावों को इस संशोधन के साथ अनुमोदन किया कि "सहायक वित्त अधिकारी" के पदनाम के स्थान पर पद नाम "वित्त अधिकारी" रखा जाय।
11-	परिषद के नाजिर के लिये वाहन ~~मास~~ भत्ता की स्वीकृति।	III/(11)/76	परिषद ने सर्वसम्मति से मुख्यालय पर नाजिर के लिये वाहन भत्ता रु०30/- प्रति माह के स्थान पर रु०45/- प्रति माह कर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

ह०
(द्वारका नाथ टण्डन)
उप आवास आयुक्त एवं सचिव

(22)

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
12-	मेरठ को आवासीय योजनाओं में सर्वश्री कालीचरन व सत्य प्रकाश ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में।	III/(12)/76	परिषद ने मेरठ को आवासीय योजना में सर्वश्री कालीचरन व सत्य प्रकाश ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यों के संबंध में प्रस्तुत को गयी टिप्पणी पर विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि 125 भवनों के लिये भरी हुयी नींव को खुदवाकर नक्शों के अनुसार भवनों का वहां पुनः निर्माण कराया जाय। साथ ही साथ सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि 95 निर्माणों की मरम्मत न करके भूमि सहित नीलाम कर दिया जाय जिसमें यह शर्त हो कि निर्मित भवनों को गिराकर ही भूमि तथा मलवे का प्रयोग भवन निर्माण के लिये किया जा सकेगा।
13-	मेरठ को योजना संख्या 2 में समाविष्ट भूमि के कुछ भाग पर एक अस्थायी बस स्टैन्ड के निर्माण में व्यय किये गये रुपये 37000/- के सम्बन्ध में।	III/(13)/76	परिषद ने मेरठ की योजना संख्या 2 में समाविष्ट भूमि के कुछ भाग पर एक अस्थायी बस स्टैण्ड के निर्माण में व्यय किये गये रु037,000/- के संबंध में प्रस्तुत की गयी टिप्पणी पर विचार-विमर्श के पश्चात 10जून, 1968 के पश्चात हुयी इस विषय की समस्त कार्यवाही को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।
14-	बस्तौली गाजीपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, फैजाबाद रोड, लखनऊ के अन्तर्गत अर्जन से मुक्त भवनों के स्वामियों से विकास व्यय लेने का मामला।	III/(14)/76	परिषद ने सर्वसम्मति से बस्तौली गाजीपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ के अन्तर्गत अर्जन से मुक्त भवनों के स्वामियों से विकास व्यय लेने के मामले पर विचार स्थगित किया।
15-	परिषद के कार्य-कलापों की प्रगति।	III/(15)/76	परिषद ने टिप्पणी में प्रस्तुत कार्यकलापों की प्रगति का अवलोकन किया।
16-	मुख्यालय स्थित सम्पत्ति प्रबन्ध विभाग के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की स्वीकृति।	III/(16)/76	परिषद ने मुख्यालय स्थित सम्पत्ति प्रबन्ध विभाग के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग के संबंध में प्रस्तुत की गयी टिप्पणी पर विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
17-	बड़पुर गृहस्थान एवं सड़क योजना संख्या-1 फतेहगढ़ की धारा 28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने एवं आगे चलाने का प्रस्ताव।	III/(17)/76	परिषद ने बड़पुर गृहस्थान एवं सड़क योजना संख्या-1 फतेहगढ़ की धारा 28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने एवं आगे चलाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।
18-	XXXXX मसौली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2 मथुरा की धारा 31(2) के अधीन परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राक्कलन।	III/(18)/76	परिषद ने मसौली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2 मथुरा की धारा 31(2) के अधीन सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

(द्वारका नाथ टण्डन)
उप आवास आयुक्त एवं सचिव

(23)

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
19-	मशैली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 मथुरा की धारा 31(2) के अधीन परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राक्कलन।	III/(19)76	मशैली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 मथुरा की धारा 31(2) के अधीन परिषद ने सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
20-	डायमण्ड डेरी योजना, लखनऊ के अन्तर्गत निर्मित दुकानों तथा उसके ऊपर बने आवासिक फ्लैट्स के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार।	III/(20)/76	परिषद ने डायमण्ड डेरी योजना लखनऊ के अन्तर्गत निर्मित दुकानों तथा उसके ऊपर बने आवासिक फ्लैट्स के निस्तारण के संबंध में प्रस्तुत की गयी टिप्पणी पर विचार-विमर्श के पश्चात टिप्पणी में रखे गये पांचों प्रस्तावों का ~~सर्वसम्मति~~ सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।
21-	लखनऊ स्थित योजनाओं के अन्तर्गत बने हुये भवनों को शासन को विक्रय करने के सम्बन्ध में।	III/(21)/76	परिषद ने लखनऊ स्थित योजनाओं के अन्तर्गत बने हुये भवनों को शासन को विक्रय करने के संबंध में प्रस्तुत की गयी टिप्पणी पर विचार-विमर्श के पश्चात टिप्पणी में रखे गये प्रस्तावों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। साथ ही साथ यह भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यह सुनिश्चित करने के लिये कि सभी पंजीकृत व्यक्तियों को भूखण्ड तथा भवन मिल जायें, जीवन बीमा निगम को 100 एकड़ भूमि* स्थानान्तरित ही न की जाय या अधिक से अधिक केवल 50 एकड़ ही भूमि दी जाय।
		* यदि सम्भव हो तो	
22-	मेरठ शहर में योजना सं0-2 के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।	III/(22)/76	परिषद ने मेरठ शहर में योजना संख्या-2 के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर स्थापित किये जाने के संबंध में प्रस्तुत की गयी टिप्पणी पर विचार विमर्श के पश्चात प्रस्तावों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।
23-	निरंजनपुर टी स्टेट देहरादून की 100 एकड़ भूमि को सोर्टस कालेज को बेचने के सम्बन्ध में।	III/(23)/76	परिषद ने निरंजनपुर टी स्टेट देहरादून की 100 एकड़ भूमि को सोर्टस कालेज को बेचने के संबंध में प्रस्तुत की गयी टिप्पणी पर विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि भूमि का मूल्य मूल्यांकन समिति द्वारा स्वीकृत करवाकर उसे सोर्टस कालेज अथवा इन्डो-तिब्बत बार्डर पुलिस के लिये काम्पलेक्स बनाने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार को दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

(द्वारका नाथ टण्डन)
उप आवास आयुक्त एवं सचिव